30.6.21 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। अधिवक्ता अपीलान्ट की अन्तिम बहस सुनी गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

नामान्तकरण अपील संख्या – 04/2019

अपीलान्ट – धारूराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल निवासी सुरपुरा तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

रेस्पोडेन्टगण– 1. सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी कलां तहसील डेगाना

2. खैनी पुत्री नारायण

3. चौथाराम पुत्र धारूराम

4. झणकारी पुत्री धारूराम

5. भंवरलाल पुत्र नारायण

6. भागूराम पुत्र धारूराम

7. मैना पुत्री नारायण

8. श्रवणी पुत्री नारायण.

9 शिवलाल पुत्र नारायण

10.सुगनाराम पुत्र धारूराम जातियान मेघवाल निवासी पालड़ी कलां तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता अपीलान्ट –श्री जीयाराम रॉयल

दिनांक 30.6.21

–:: आदेश ::–

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह नामान्तकरण अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम पालड़ी कलां तहसील डेगाना की सरहद में जमीन खेत खसरा नंबर 755 रकबा 2:15 बीघा, खसरा नंबर 755/1 रकबा 2:15 बीघा, खसरा नंबर 755/2 रकबा 2:15 बीघा स्थित है जिसके नये खसरा नंबर 1120 रकबा 1.34 हैक्टेयर है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 755 रकबा 2:15 बीघा, खसरा नंबर 755/1 रकबा 2:15 बीघा, खसरा नंबर 755/2 रकबा 2:15 बीघा भूमि प्रार्थी की जरिये रजिस्टर्ड खरीदसुदा भूमि है। मुताबिक बैचान दस्तावेजात के उक्त खसरान का नामान्तकरण प्रार्थी धारूराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल निवासी

उप खण्ड अधिकारी

सुरपुरा के नाम भरा गया एवं खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज की गई। जो जमाबन्दी संवत 2060–63 से साबित है। अपीलान्ट जीवित है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व आई.एल.आर तथा पटवारी हल्का से मिलकर अपीलान्ट के जीवित होते हुए भी अपीलान्ट की उपरोक्त जमीन हड़पने की नियत से उसे मृत होना मानकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 के नाम से अपीलान्ट की खातेदारी सुदा जमीन का नामान्तकरण भर दिया जबकि इस प्रकार का आपराधिक व गैर कानूनी कृत्य करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट को नहीं था। अपीलान्ट के जीवित रहते हुए उसे मृत होना बताकर जो नामान्तकरण संख्या 115 भरकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकृत किया है वह विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है जिससे नामान्तकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। मुतनाजा जमीन पर क्रय करने के पश्चात् से लेकर आज दिन तक अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को भी थी। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट को मृत होना बताकर नामान्तकरण संख्या 115 अपीलान्ट की जमीन को हड़पने की नियत से कूटरचित दस्तावेज की संरचना कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 ने अपने नाम से खातेदारी गलत दर्ज करवा ली। अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 115 के भरे जाने की जानकारी उस समय नहीं हो सकी लेकिन दिनांक 26.06.2019 को अपीलान्ट ने अपने निजि कार्य हेतु उक्त खसरान की जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तब अपीलान्ट को यह जानकारी हुई कि उक्त जमीन की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 10 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। तब उस दिन अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 115 की नकले प्राप्त की जिससे अब यह नामान्तकरण निरस्त की अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसे अन्दर मियाद शुमार की जानी आवश्यक है। इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पालड़ी कलां द्वारा नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 24.09.2016 विधि विरूद्ध होने से व कूटरचित होने से उसे निरस्त फरमाया जावे व राजस्व ग्राम पालड़ी कलां के खसरा नंबर 1120 रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध दिनांक 6.4.2021 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के पक्ष में इकबाली जवाब पेश किया है। अपील के संबंध में भूमिधारी तहसीलदार डेगाना से भी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार डेगाना ने दिनांक 5.2.2020 को रिपोर्ट/जवाब पेश करते हुए कथन किया है कि ग्राम पालड़ी कलां के खसरा नंबर पुराने 755, 755/1, 755/2 नये खसरा नंबर 1120 का खातेदार धारूराम पुत्र गणेशराम निवासी सूरपुरा ग्राम पंचायत बिखरनियां कलां का निवासी है। सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियां कलां की रिपोर्ट एवं शपथ पत्र के अनुसार धारूराम पुत्र गणेशराम जीवित है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम पर अधिवक्ता अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा

अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्ट के द्वारा अपने निजि कार्य हेतु उक्त विवादित भूमि की नकले दिनांक 26.06.2019 को प्राप्त की तब अपीलान्ट को जानकारी हुई की उक्त विवादित भूमि में अपीलान्ट को मृत होना मानते हुए नामान्तकरण संख्या 115 भरा जाकर खातेदारी अपीलान्ट के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज की गई है। नकले प्राप्त करते हुए अपीलान्ट ने यह नामान्तकरण अपील प्रस्तुत की है, जिससे अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। चूंकिः अपीलान्ट अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का है तथा राजस्व रेकर्ड को देखने का काम नहीं पड़ता है एवं नकले प्राप्त करते ही उसके द्वारा यह नामान्तकरण अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट की एक पक्षिय बहत बाबत नामान्तकरण अपील सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट की खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है तथा अपीलान्ट जीवित है। इसके बावजूद अपीलान्ट को मृत बताकर जरिये नामान्तकरण संख्या 115 के द्वारा खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज कर दी गई है जो विधि विरूद्व है। अतः नामान्तकरण संख्या 115 को निरस्त किया जाकर पुनः विवादित भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपील के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी राजस्व ग्राम पालड़ी कलां के खसरा नंबर 755, 755/1, 755/2 कुल रकबा 8.05 बीघा की खातेदारी अपीलान्ट धारूराम पुत्र गणेशराम कौम भांबी सा. सुरपुरा के नाम दर्ज है। ग्राम पालड़ी कलां के नामान्तकरण संख्या 115 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 1120 रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी जरिये फौतगी नामान्तकरण के खातेदार धारूराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज की गई है। जमाबन्दी संवत 2067–2076 में खसरा नंबर 1120 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं हुए है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी कलां ने अपील अपीलान्ट को स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि उक्त नामान्तकरण भूल व सहवन से स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त किया जावे। चूंकिः अपीलान्ट ग्राम सुरपुरा का निवासी है जो ग्राम पंचायत बिखरनियां कलां में आता है। जिससे सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनिया कलां ने भी दिनांक 24.1.2020 को एक पत्र तहसीलदार डेगाना को प्रेषित किया है जिसकी असल प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियां कलां ने यह कथन किया है कि धारूराम पुत्र गणेशराम मेघवाल निवासी सूरपुरा का रहने वाला है एवं आज दिनांक 24.01.2020 को जीवित है। धारूराम अविवाहित है। सरपंच ग्राम पंचायत बिखरनियां कलां एवं सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी कलां के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट धारूराम पुत्र गणेशराम मेघवाल निवासी सूरपुरा जीवित है तथा भूल

अथवा सहवन से अपीलान्ट को मृत होना मानकर ग्राम पंचायत पालड़ी कलां के द्वारा ग्राम पालड़ी कलां का नामान्तकरण संख्या 115 स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त कथनों एवं अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से साबित होता है कि धारूराम पुत्र गणेशराम जाति मेघवाल निवीसं सूरपुरा तहसील डेगाना जीवित है। अपीलान्ट के जीवित रहते हुए उक्त भूमि के संबंध में स्वीकृत किया गया फौतगी नामान्तकरण संख्या 115 विधि विरूद्व एवं निरस्त योग्य है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी कलां के द्वारा राजस्व ग्राम पालड़ी कलां के नामान्तकरण संख्या 115 स्वीकृत दिनांक 24.09.2016 को खारिज किया जाकर तहसीलदार डेगाना को रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 115 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.21 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

उप खण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)